सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-1820/MP/3/2023-ESDW **दिनांक: 26.06.2023**

सेवा में,

श्री अलकेश कुमार शर्मा,
सचिव,
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय,
भारत सरकार,
इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली,
नई दिल्ली, 110003
ई-मेल: secretary@meity.gov.in,

विषय: राष्ट्रीय महत्व के विषय पर हो रहे शोध, विकाश तथा स्वावलंबन के कार्यों के संदर्भ में संचालित प्रोजेक्ट अवधि तथा फ़ंड को बढ़ाने के संदर्भ में श्री मोरध्वज पैकरा, परियोजना ज़ोनल कौर्डीनेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविध्यालया, अमरकंटक, जिला-अनुपपुर, मध्य प्रदेश का दिनांक 16.03.2023 का अभ्यावेदन।

उपरोक्त विषय पर **श्री मोरध्वज पैकरा, परियोजना ज़ोनल कौर्डीनेटर,** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविध्यालया, अमरकंटक, जिला-अनुपपुर, मध्य प्रदेश द्वारा आयोग को अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसकी छाया प्रति संलग्न कर आपको भेजने का निदेश हुआ है।

2. अत: आप से अनुरोध किया जाता है कि, अभ्यावेदन में उठाये गये बिन्दुओं के अनुसार इस मामले में यथोचित कार्यवाही की जाए तथा कि गई/ की जाने वाली कार्रवाई से इस आयोग को अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्न यथोपरि.</u>

(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी

<u>प्रतिलिपि संलग्न:</u>

1. **श्री मोरध्वज पैकरा,**
परियोजना ज़ोनल कौर्डीनेटर,
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय,
भारत सरकार,
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविध्यालया,
अमरकंटक, जिला-अनुपपुर,
मध्य प्रदेश

2. **एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।**